92

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

निगरानी 2202-II-15
Rs.20/-

192
12.6.15

1. अंगद प्रसाद तनय स्व.श्री रामदेव कुशवाहा

2. रामाश्रय तनय स्व.श्री रामदेव कुशवाहा
दोनों निवासी ग्राम भरौहा, तह.रामपुर बाघेलान, जिला सतना म.प्र.

--- निगरानीकर्ता गण

आदित्य त्रिपाठी 12-6-15

बनाम

1. भोला प्रसाद तनय स्व.श्री रामदेव कुशवाहा, नि.ग्राम भरौहा, तह. रामपुर बाघेलान जिला सतना म.प्र.

क्रमांक 5854
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ... को प्राप्त
... राजस्व ... ग्वालियर

2. श्रीमती पैसुनिया पुत्री रामदेव कुशवाहा पत्नी शिवदास कुशवाहा, नि. बोदाबाग रीवा

3. श्रीमती दुधीव्या उर्फ सावित्री पुत्री स्व.रामदेव कुशवाहा पत्नी सूर्यपाल कौशिया, नि.खदान वाले नामदेवजी के सामने गायत्रीनगर आधारताल जबलपुर म.प्र.

4. बैकुंठी पुत्री स्व.रामदेव कुशवाहा पत्नी कौशल प्रसाद कुशवाहा, नि. पुष्पराज नगर नृत्यराघव स्कूल के सामने पुष्पराज नगर रीवा म.प्र.

5. मुस.कुन्ती पुत्री स्व.रामदेव कुशवाहा पत्नी बाबूलाल कुशवाहा (मृत)
वारिसान- (अ) जयप्रकाश नारायण तनय स्व.बाबूलाल कुशवाहा

(ब) रामू तनय स्व.बाबूलाल कुशवाहा

(स) रेखा पुत्री स्व.बाबूलाल कुशवाहा

(द) सुलेखा पुत्री स्व.बाबूलाल कुशवाहा

सभी नि.जानकी कुण्ड आरोग्यधाम मोड़ के पास चित्रकूट तह.मझगवां जिला सतना म.प्र.

--- गैर निग.गण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 2202–दो / 2015 निगरानी जिला सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
11-8-17	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 265 / 08–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–4–15 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भरौहा के भूमिस्वामी रामदेव थे, जिनकी मृत्यु उपरांत अंगदप्रसाद एंव रामश्रय ने इकरानामा के आधार पर नामान्तरण चाहा। नायव तहसीलदार वृत्त बोरहटा ने मृतक रामदेव के स्थान पर इकरानामे के आधार पर आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने प्रकरण क्रमांक 54 / 07–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 3–4–2008 से नायव तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई उपरांत पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर सतना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर सतना ने प्रकरण क्रमांक 120 / 07–08 में पारित आदेश दिनांक 7–3–09 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग ने प्रकरण क्रमांक 265 / 08–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–4–15 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।	

3/ निगरानी की ग्राह्यता पर उभय पक्ष के अभिभाषकों को सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक की आपत्ति है कि जब नायव तहसीलदार व्दारा पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलाल ने आदेश दिनांक 3–4–2008 से उलट दिया था एंव इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर सतना से स्थगन था तब अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 3–4–08 की इतालवी अभिलेख में नहीं करना थी। अनावेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि विचारण न्यायलय में अपर कलेक्टर सतना के स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं पहुंची इसके पूर्व ही इतालवी हो चुकी है और जब राजस्व अभिलेख को अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलाल के आदेश दिनांक 3–4–2008 के कम में सुधार दिया गया है जिस पक्ष के हित में अन्य आदेश होगा, अभिलेख में तद्नुसार प्रविष्टि सॅशोधित हो जावेगी , जिसके कारण आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति व्यर्थ है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि निगरानकर्ता क–2 ने न्यायालय में आवेदन 5–12–15 को प्रस्तुत कर निगरानी वापिस लेने की मॅशा जाहिर की है किन्तु प्रकरण में अन्य आवेदक भी है एंव इस तिथि के वाद दोनों आवेदकों की ओर से नियुक्त अभिभाषक निरन्तर पेशियों पर उपस्थित होते रहे हैं जिसके कारण इस आवेदन का महत्व नहीं है। प्रकरण में मूल विवाद यह है कि ग्राम भरौहा के भूमिस्वामी रामदेव की मृत्यु उपरांत अंगदप्रसाद एंव रामश्रय इकरानामा के आधार पर नामान्तरण कराना चाहते हैं जबकि अनावेदकगण मृतक के विधिक वारिस होने के आधार पर सभी वारिसों का नामान्तरण चाहते है। नियमानुसार मृतक के सभी हितबद्व वारिस विरासत में समान–भागी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 2202–दो / 2015 निगरानी जिला सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	माने जाते हैं जिसके कारण उन्हें भी हितबद्व होने से सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के आदेश दिनांक 3–4–2008 में निकाले गये निष्कर्ष, अपर कलेक्टर सतना के प्रकरण कमांक 120 / 07–08 में पारित आदेश दिनांक 7–3–09 में निकाले गये निष्कर्ष तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 265 / 08–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–4–15 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया जाना संभव नहीं है। 6 / उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आगे प्रचलन–योग्य न होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 265 / 08–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–4–15 उचित होने से यथावत् रखा जाता है। सदस्य	